फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– प्रकाश　　विपक्षी :– रोशनलाल

किस्म मुकदमा – प्रा. पत्र आ. 9 नि. 9 जा.दी.　　पत्रावली संख्या : 51/23

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 4, 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 4, 5 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद प्रकरण संख्या 408/21 में दिनांक 04.04.2023 को की गई कार्यवाही को अपास्त कर वादी का वाद पुनः नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया कि मूल वाद प्रकरण सं. 408/21 अनवान प्रकाश बनाम रोशनलाल दिनांक 04.04.2023 को वादी मय अधिवक्ता वादी द्वारा अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र अवधि के अंदर पेश किया गया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी/वादी रोजगार के लिए मुंबई में रहता है। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी को कहा गया था कि जब भी आवश्यकता होगी तब वादी/प्रार्थी को सुचना भेज दी जायेगी। वादी इसी विश्वास में रहा की वादी के अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है। नियत पेशी दिनांक 04.04.2023 को वादी के अधिवक्ता वल्लभनगर न्यायालय में व्यस्त रहने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिससे वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया जिससे पुनः नंबर पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रार्थी/वादी दिनांक 04.04.2023 को अनुपस्थित रहा जो की प्रार्थी/वादी की लापरवाही का घोतक है। वादी को अपनी पेशी दिनांक के प्रति सजग रहना चाहिए। वाद प्रस्तुत करने पश्चात् अधिवक्ता से संपर्क बनाये रख कर वाद में पेशी व कार्यवाही की जानकारी लेनी चाहिये। चूंकि प्रकरण में वादी का वाद काउन्टर क्लेम के जवाब में चल रहा है जिससे वादी को सुनकर गुणानगुण के आधार पर तय किया जाना आवश्यक है। अतः वाद में प्रार्थी/वादी का हित निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 408/21 अनवान प्रकाश बनाम रोशनलाल में आदेश दिनांक 04.04.2023 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.10.23 15:26:28 IST
Reason: SelfAttested